Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **पाली में पुलिस थाना खिंवाड़ा का कानिस्टेबल 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, *05 नवम्बर, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की पाली–प्रथम इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **कानाराम मीणा कानिस्टेबल, पुलिस चौकी कोट सोलंकियान, पुलिस थाना खिंवाड़ा, जिला पाली** को परिवादी से **10 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की पाली–प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके खेत में भैंस मरी पाई जाने के मामले में कार्यवाही नहीं करने की एवज में आरोपी कानाराम मीणा कानिस्टेबल द्वारा 20 **हजार रूपये** रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की पाली–प्रथम इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र डूकिया** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी कानाराम मीणा कानिस्टेबल को परिवादी से **10 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी कानिस्टेबल द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान भी परिवादी से **5 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।